न्यायालय अति. जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 20/2018

1. सुगनचन्द पुत्र मूला
2. लालचन्द पुत्र मूला
3. नरेश पुत्र मूला
4. रामपाल पुत्र प्रभु
5. धर्मपाल पुत्र प्रभु
6. पूरण पुत्र प्रभु
7. सुखराम पुत्र प्रभु

समस्त जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्टस्

1. श्रीमान् तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. उमराव सिंह पुत्र भगवाना
3. पूरण पुत्र भगवाना
4. महेन्द्र पुत्र भगवाना
5. कमला पुत्री भगवाना

निवासी बूढवास तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ

6. प्रभातीलाल पुत्र मंगलाराम
7. सरदारा पुत्र मंगलाराम
8. 1/1 श्रीमती सराकोर पत्नी गिरधारीलाल
   8. 1/2 कमलेश पुत्र गिरधारी लाल
   8. 1/3 अमरसिंह पुत्र गिरधारी लाल
   8. 1/4 लाली उर्फ संतोष
   8. 1/5 मनोज
   8. 1/6 सुमन पुत्रियां गिरधारीलाल
9. हरचन्द पुत्र कालू

समस्त जातियान् जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/11/94 ग्राम करवास द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 31.7.19

अपीलार्थीगण् द्वारा नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/11/1994 ग्राम करवास द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) से व्यथित होकर उक्त नामा. के विरूद्व अपील निम्नभांति प्रेषित की है, जो निम्नानुसार बिन्दुवार पेश है।

1. यह है कि हाल खसरा नम्बरान् 230/1.25, 231/0.99, 232/0.25, 281/0.46, 441/0.18, 442/0.15, 443/0.16, 450/0.03, 451/0.05, 468/0.18, 480/0.12, 481/0.11, 482/0.12 कुल किता 13 कुल रकबा 4.28 हैक्टर वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है।

2. यह है कि उपरोक्त आराजी के हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार बीरबल पुत्र भूरिया था, जो पागल हो गया था, जिसके कोई औरत व संतान व सगा भाई नहीं था। केवल मात्र एक बहिन लाडो पुत्री भूरिया थी, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 5 की माता थी।
3. यह है कि लाडो देवी पुत्री भूरिया ने अपने जीवन काल में ही अपनी उपरोक्त आराजी में 1/3 का 30,000/– रूपये में अपीलान्ट के पिता फूला प्रभू को बेचान कर दी थी व विवादित आराजी पर काबिज करवा दिया था, जिसका इकरारनामा भी लिखित में पिता को लिखकर दे दिया था। अपीलान्ट के पिता प्रभू की मृत्यु हो चुकी है, जिसके फुट स्टेप पर अपीलान्टस् आराजी के हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त चले आ रहे है।
4. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 की माता लाडो देवी की मृत्यु हो गयी है, जिसके रेस्पोडेन्ट के मन में बेईमानी आ गयी व सभी ने मिलीभगत कर अपीलान्ट की पीठ पिछे से छिपाकर अपीलान्टस के पिता मूल प्रभू को बेचान की गयी भूमि बिना किसी अधिकार के राजस्व कर्मचारियों व तत्कालीन नायब तहसीलदार से मिलकर उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/11/1994 वाके ग्राम करवास रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 05 ने अपने नाम दर्ज करवाली व उसके बाद उपरोक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 को बेचान कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को एक माह पूर्व पटवारी के पास किसी काम से गये तब हुयी जिस पर अपीलान्ट ने नामान्तरकरण की नकल ली वकील की राय लेकर अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है।
5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार का निर्णय विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है।
6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिना अपीलान्ट को सुने बिना समुचित किये नामान्तरकरण निर्णय पारित किया है, जो ग़ैर अपील निरस्तनीय है।
7. यह है कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/11/1994 ग्राम करवास के बाबत पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट एक माह पूर्व पटवारी के पास किसी काम से गये जो अपीलान्ट को नामा.सं. 219 के बाबत जानकारी हुयी, जिस पर अपीलान्ट ने नामा. की नकल ली व वकील से राय लेकर अपील माननीय न्यायालय में अन्दर मियाद पेश की है। फिर भी देरी माफी के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पेश किया है, जो संलग्न है।
8. यह है कि अपील निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है एवं अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नामा. सं. 219 दिनांक 02/11/1994 ग्राम करवास द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) बाबत आराजी ख.नं. 230/1.25, 231/0.99, 232/0.25, 281/0.46, 441/0.18, 442/0.15, 443/0.16, 450/0.06, 451/0.05, 468/0.18, 480/0.12, 481/0.11, 482/0.12 कुल किता 13 कुल रकबा 4.23 हैक्टर वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को निरस्त करने की कृपा करें।

9. अपीलान्टस द्वारा जरिये वकील अपील पेश की गयी, रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की नियमानुसार तलबी करायी गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5, 9 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 गिरधारी फौत होने पर उनके कायम मुकान 8/1/1, 8/1/4, 8/1/5, 8/1/6 अनुस्थित इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7, 8/1/2, 8/1/3 की ओर से श्रीमती प्रभा अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित आई।
10. प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से जरिये वकील प्रार्थना–पत्र अपील मेन्टेबल नहीं होने का पेश किया, जिसका जवाब वकील अपीलान्ट द्वारा पेश दिनांक 20/6/2019 को पेश किया, जो संलग्न पत्रावली है। वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना–पत्र पर बहस की तथा वकील अपीलान्ट ने बहस के लिए अवसर चाहा आईन्दा बहस करने की इस्तदुआ की।
11. उभयपक्ष वकीलों की अन्तिम बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आराजी ख.नं. 230/1.25, 231/0.99, 232/0.25,

281/0.46, 441/0.18, 442/0.15, 443/0.16, 450/0.06, 451/0.05, 468/0.18, 480/0.12, 481/0.11, 482/0.12 कुल किता 13 रकबा 4.28 हैक्टर वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) में स्थित है, जिसमें हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार बीरबल पुत्र भूरिया था, जो पागल हो गया था, जिसके औरत संतान व सगा भाई नहीं था केवल मात्र एक बहिन लाडो देवी पुत्री भूरिया थी, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 5 की माता थी। उपरोक्त आराजी में हिस्सा 1/3 मूला प्रभू को बेचान कर दी थी, जिसका इकरारनामा भी अपीलान्ट के पिता को लिखकर दे दिया था तथा उक्त भूमि पर काबिज कब्जा दिया था। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने पर उनके फुट स्टेप पर अपीलान्टस काबिज काश्त चले आ रहे है। लाडो देवी की मृत्यु होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट के मन में बेईमानी आ गयी । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने नायब तहसीलदार से मिलकर अपीलान्ट के पीठ पिछे से नमा. सं. 219 दिनांक 02/11/1994 ग्राम करवास विरासत का अपने नाम दर्ज करवा लिया। उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 को बेचान कर दिया, जिसकी जानकारी एक माह बाद पटवारी हल्का से नकल लेने पर हुयी, जिसकी अपील श्रीमान् न्यायालय में यहां अपील अन्दर मियाद पेश की है फिर भी देरी माफी के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पेश किया है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है । चूँकि यह विरासत का नामान्तरकरण था और ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाना था, लेकिन दुर्भावना पूर्ण अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सूचित किये उक्त नामान्तरकरण बाबत जो निर्णय पारित किया है वह निर्णय विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। क्योंकि कब्जा शुरू से हमारा चला आ रहा है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/11/1994 ग्राम करवास द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली बाबत आ.ख.नं. 230/1.25, 231/0.99, 232/0.25, 281/0.46, 441/0.18, 442/0.15, 443/0.16, 450/0.06, 451/0.05, 468/0.18, 480/0.12, 481/0.11, 482/0.12 कुल किता 13 रकबा 4.28 हैक्टर वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली को निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलान्ट द्वारा बहार से कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अपील मेन्टनेबल नहीं होने के बाबत पेश किया है। उसने एक ही तथ्य को घुमा फिरा कर अंकित किया है, जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा यह नहीं बताया कि कौनसे कानून के तहत् अपील चल नहीं सकती। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। अपीलान्टस द्वारा उक्त भूमि जरिये इकरारनामा से खरीद के पश्चात् शुरू से ही कब्जा है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट स्वीकार कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/11/1994 वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली को निरस्त फरमाया जावें।

12. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/11/1994 अपासत करने बाबत जो अपील पेश की गयी है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा यह तथ्य लेकर आ रहे है कि लाडो देवी पुत्री भूरिया द्वारा अपना हिस्सा 1/3 अपीलान्ट के बुजुर्ग मूला प्रभू को बेचान कर दी थी इस बाबत एक इकरारनामा भी लाडो देवी ने अपीलान्ट के बुजुर्ग मूला प्रभू को लिख दिया था। इस इकरारनामा के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त नहीं करा सकते है। इस हेतु अपीलान्टस् राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय में नियमित वाद के आधार पर ही कानूनी कार्यवाही करा सकते है। इस लिए उपरोक्त अपील कानूनन मेन्टबेवल नहीं है। इसके अलावा वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 ने उक्त विवादित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 ने जरिये रजिस्ट्री विक्रय–पत्र से दिनांक 08/12/1994 लाडो देवी के वारिसान् से खरीदी है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 222 से राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो चुका है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि बाबत राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां प्रकरण राजपाल बनाम प्रभाती वगैरह मुकदमा नं. 85/2017 नियमित वाद पेश कर रखा है, जो दिनांक 24/5/2011 को अदम हाजरी अहम पैरवी में खारिज हो गया था, जिसका रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र दिनांक 26/02/2018 को स्वीकार फरमाया जाकर पुनः

नम्बर पर सेलिया ही जिसकी चुनौती राजस्व मण्डल अजमेर दी गयी तथा आदेश दिनांक 26/02/2018 को स्थिगित कर दिया। इस प्रकार अपील पेश करने से पूर्व ही नियमित वाद मा0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां विचाराधीन है। इसलिए अपील विरूद्व नामान्तरकरण पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि में अपना हक अधिकार इकरारनामा के आधार पर बता रहे है। वह नियमित वाद के माध्यम से ही गुण दोष के आधार पर ही तैय होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी नामान्तरकरण के उपरोक्त मामले में यह सिद्वान्त प्रतिपारित किया गया है कि ऐसे नामान्तरकरण की अपीले कानूनन मेन्टेबल नहीं है, जिसमें नियमित वाद के तहत् ही कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा कथन किया कि इकरारनामा में भूमि का विवरण भी नहीं है। वर्ष 1994 से काबिज हूँ। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में साईटेशन 2019 डी.एन (रिवन्यु) 22 राजस्व बोर्ड अजमेर सागरमल बनाम मुन्नी देवी पेश की गयी जो संलग्न है।

13. वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य एवं सबूत से पत्रावली का अवलोकन किया । वकील उभयपक्षों की बहस पर गौर कर मनन किया तो पाया कि लाडा पुत्री भूरा पत्नि भगवाना जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली हाल बुढवाल तहसील नारनौल द्वारा इकरारनामा में अंकन किया है कि मेरी व मेरे भाई की समस्त जायदाद खातेदारी भूमि व हवेली एवं चल अचल सम्पत्ति के एक मात्र वारिश मूला प्रभू रहेंगे। यह लिखावत 25/3/84 को हुयी होना पाया गया तथा उक्त इकरारनामा में गवाहन किशोरी लाल रामचन्द गोविन्दराम के हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी है। लाडो देवी के मृत्यु पश्चात् नामान्तरकरण 219 भरा गया, जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि बीरबल हिस्सेदार फौत हो गया है। उसके कोई जाईन्दा संतान व औलाद नहीं है ना ही कोई सगा भाई है। उसके एक सगी बहिन लाडा देवी थी, वह भी फौत हो चुकी है, जिसकी चार संताने है। बीरबल की विरासत का उक्त नामान्तरकरण 219 वाके ग्राम करवास बीरबल वल्द भूरिया जाति जाट सा. देह हि. 1/3 के स्थान पर उमरावसिंह पूर्ण महेन्द्र पिता भगवाना कमला पुत्री भगवाना जाट सा. बूढवाल हिस्सा 1/3 का अंकन होकर नायब तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार होना पाया गया। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 ने उपरोक्त विवादित भूमि हिस्सा 1/3 को जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 08/12/1994 के द्वारा लाडो देवी पुत्री भूरिया के वारिसान् से जरिये रजिस्ट्री विक्रय–पत्र दिनांक 08/12/94 से खरीद की है, जिसका नामान्तरकरण 222 दिनांक 08/3/1995 का भी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है। इसके अलावा यह भी कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां नियमित वाद विचाराधीन है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार ना होकर तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 219 स्वीकार हुआ है, जबकि विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के यहां पेश होना चाहिए था, जिससे अपीलान्ट को भी सूचित कर व सुना जाकर अग्रिम कार्यवाही होनी चाहिए थी जबकि उक्त नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते समय अपीलान्ट को बिना सुने ही व बिना सूचित किये ही उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया है, जो उक्त पारित निर्णय विधि विरूद्व एवं न्याय के प्रांकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह जाहिर किया कि उक्त भूमि पर शुरू से ही अपीलान्ट व उनके बुजुर्ग काबिज रहे है। चूँकि उक्त विवादित भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां घोषणा का नियमित वाद विचाराधीन है। उक्त वाद के माध्यम से ही खातेदारी हक अधिकार निर्णित होंगे। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 के वकील द्वारा अपील मेन्टेबल नहीं होने का पेश किया है। वह किस धारा के अन्तर्गत पेश हुआ है। इसका उक्त प्रार्थना–पत्र में कही उल्लेख नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत दिनांक 20/6/2019 सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 219 वाके ग्राम करवास स्वीकृत दिनांक 02/11/1994 द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली को अपास्त किया जाना भी न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

14. उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/11/1994 स्वीकार द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उभयपक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।
15. निर्णय आज दिनांक 31.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)